न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4157–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–7–13 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 176/अपील/2009–10

.....

भारतसिंह आत्मज श्री मिश्रीलाल
निवासी ग्राम किलेरामा फतेहपुर तहसील आष्टा
जिला सीहोर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

मुकेश सिंह आत्मज श्री मिश्रीलाल

निवासी ग्राम किलेरामा फतेहपुर तहसील आष्टा

जिला सीहोर म0प्र0 ..... अनावेदक

.....

श्री नरेन्द्रसिंह ठाकुर, अभिभाषक–आवेदक
श्री वीरेन्द्र तिवारी, अभिभाषक–अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/9/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार आष्टा के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके पिता स्व0मिश्रीलाल ग्राम किलेरामा के कोटवार थे उनके द्वारा कोटवार पद से दिनांक 28–7–06 को त्यागपत्र दे दिया गया था, इस कारण उसे अस्थायी कोटवार पर नियुक्त किया गया तब से वह निरन्तर कोटवार पद पर ईमानदारी से काम कर रहा है तथा हष्टपुष्ट होकर स्वस्थ है व आवेदक का चरित्र उत्तम है व पांचवी पास

है और ग्रामवासीगण उसके कार्य से खुश है । आवेदक कोटवार ने शासकीय चुनाव के कार्यो में भी एवं अन्य शासकीय कार्यो में अपने अस्थायी पद पर रहते हुये पूर्णत सहयोग किया है । अतः उसे ग्राम किलेरामा का अस्थायी कोटवार नियुक्त किया जाये। तहसीलदार द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र पर प्रकरण 3/अ–56/2008–09 दर्ज कर दिनांक 30–9–09 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक की स्थायी कोटवार के पद पर नियुक्ति की गई । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5–5–10 को आदेश पारित करते हुये तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 30–9–09 स्थिर रखा जाकर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–7–13 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये गये एवं प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे संहिता की धारा 230 में निर्मित प्रावधान अनुसार पुनः नवीन कोटवार के पद की नियुक्ति करने संबंधी कार्यवाही करें । आयुक्त के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् कोटवार पद पर आवेदक की नियुक्ति की गई है एवं जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त करने में आयुक्त द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा अपने आदेश में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में क्या अनिमितता हुई है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक स्थायी कोटवार के पद पर नियुक्त था एवं उसके द्वारा संतोषजनक कार्य किया गया है जिससे ग्रामवासीगण खुश थे तथा वह कोटवार पद के लिये पात्र था, अतः उपरोक्त

कारणों से तहसीलदार द्वारा आवेदक की नियुक्ति करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई थी, परन्तु आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब तहसीलदार के अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है, तब मौखिक साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं है इस आधार पर कहा गया कि आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, जिसे निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि तहसीलदार द्वारा दैनिक समाचार पत्र में विधिवत् इश्तिहार का प्रकाशन नहीं किया गया है और न ही स्थायी कोटवार की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये गये हैं । तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं ली गई है अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक की कोटवार के पद पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई थी, अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नही की गई है । इस आधार पर कहा गया कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न थाना प्रभारी आष्ठा के प्रतिवदेन से स्पष्ट है कि उभय पक्ष के मध्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 एवं 116 के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलित होना थाना प्रभारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, पुष्टि में दस्तावेजों की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की गई है, इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा आवेदक की कोटवार पद पर नियुक्ति करने में संहिता की धारा 230 के अंतर्गत निर्मित नियमों की अवहेलना की गई है और इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार

को प्रत्यावर्तित करने में कि संहिता की धारा 230 में निर्मित प्रावधानानुसार पुनः नवीन कोटवार पद की नियुक्ति करने सम्बन्धी कार्यवाही करें, किसी प्रकार की कोई अवैधनिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस प्रकार आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर